न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 53/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. धापूदेवी पत्नि आईदान	1.	सरकारजरिये तहसीलदार(भूमिधारक) सोजत
2. नारायणलाल पुत्र आईदान		
3. प्रभुराम पुत्र आईदान		
4. फेपी पुत्री आईदान		
5. रूकमणी पुत्री आईदान		
6. छोटीदेवी पुत्री आईदान जातिगण कुम्हार निवासीगण नया गांव तहसील सोजत जिला पाली		

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

01. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

निर्णय :— दिनांक : 10/07/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा नया गांव पटवार हल्का नया गांव भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में ख.नं0 90/780 रकबा 2.9000 है0 किस्म बारानी दोयम की स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा—काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि गांव में सोजत से जोधपुर जाने वाले मुख्य सड़क पर स्थित हैं, जो पूर्ण रूप से तरमीमसुदा है। उक्त कृषि भूमि के पास ही पड़त सरकारी भूमि है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ढी करवाया जाना आवश्यक है। पास में स्थित पड़त कृषि भूमि का रकबा बड़ा है, प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर शुरू से लगातार आज दिन तक कृषि कार्य करते आ रहे है, जिस कृषि भूमि का सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण के रकबे मे स्थित खसरे की भूमि पर उचित सीमा चिन्ह अंकित किया जाकर सीमा चिन्हों का मौके पर मुटाम के रूप में वास्तविक रकबे अनुसार सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक है। पास में स्थित पड़त कृषि भूमि का रकबा बड़ा है, प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर शुरू से लगातार आज दिन तक कृषि कार्य करते

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

आ रहे है, जिस कृषि भूमि का सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण के रकबे मे स्थित खसरे की भूमि पर उचित सीमा चिन्ह अंकित किया जाकर मौके पर मुटाम के रूप में वास्तविक नाप अनुसार एवं वास्तविक रकबे अनुसार रकबे का सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के चारों सीमाओ के नाप को माफिक नक्शा अनुसार किया जाकर मौके पर पत्थर गढ्ढी/निर्धारित चिन्हों/धोरा पाली भी करवाया जाना कानूनन आवश्यक है। उक्त पत्थर गढ्ढी, धोरा पाली के अभाव में प्रार्थीगण को प्रतिवर्ष कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है एवं अपनी फसल की सही देख-रेख नहीं होती हैं, जिससे गांव के मवेशियों द्वारा प्रार्थीगण के खेत में बोई जाने वाली फसलों में नुकसान होता है, बिना नाप चौक किये, बिना पत्थर गढ्ढी, धोरा पाली किये, प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के चारो ओर सीमेन्ट के पोल व तारबंदी भी नहीं करवा सकते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास सीमाज्ञान, पत्थर गढ्ढी, धोरा पाली करवाये जाने के अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है। इसलिये प्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर हस्ब प्रा0पत्र बाबत् सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर उक्त प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0पत्र तलब किया गया। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का अनेकानेक अवसरों के उपरान्त भी विफल रहने से अर्थात् जवाब नहीं प्रस्तुत करने से आज दिनांक 20.07.2022 को जबाव प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

प्रकरण में तहसीलदार सोजत से मौका व रेकर्ड की जॉच मंगवाई गई। तहसीलदार सोजत ने कमांक/कोर्ट/2022/400 दिनांक 13.12.22 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थित भूमि पर आंशिक पशु मेला चौक, झण्डा रोहण चबुतरा व मेला कक्ष पक्का बना हुआ है। आंशिक स्थान पर बच्चो के श्मसान, पानी की टंकी, उवाला, वह खेल मैदान भी है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाया सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा नया गांव पटवार हल्का नया गांव भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में ख.नं0 90/780 रकबा 2.9000 है0 किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचीप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईस्तदुआ की है। जवाब बहस मे तहसीलदार सोजत द्वारा आपति जाहिर करते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईस्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, व तहसीलदार सोजत की जॉच रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थित भूमि पर अन्य का कब्जा होने संबंधि तथ्य नही बताये है। तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार मौके पर निर्माण व खेल मैदान, कक्ष, श्मसान इत्यादि मौजूद है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थित भूमि पर अन्य किसी का कब्जा है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त विवेचन / विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्लीन हेण्ड से पेश नही किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का क्लीन हैण्ड से पेश नही किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10/07/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)